न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 120/2011–12
राज्य बनाम गोपाल साह एवं किष्टो भगत।

आदेश

28.2.15

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक– 462 गो० सपत्र दिनांक– 27.03.2012 से दो ठेला पर 10 बोरा अवैध अनुदानित खाद्यान्न उसना चावल जप्त कर अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर गोपाल साह, वार्ड नं0–1, सहरसा एवं किष्टो भगत, सुपर मार्केट, सहरसा के नाम इस कार्यालय के ज्ञापांक 711–2 दिनांक– 11.05.2012 द्वारा नोटिस निर्गत कर उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गयी थी। दोनों ही व्यक्तियों पर दिनांक– 12.05.2012 को नोटिस की तामिला की गयी, परन्तु इन दोनों ने न तो कोई कारण–पृच्छा दिया न ही कभी न्यायालय में उपस्थित हुए।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

दिनांक– 18.11.2011 के अपराह्न में 5.25 बजे दो ठेला पर 10 प्लास्टिक बोरा में कुल 5 क्वींटल उसना चावल आपूर्ति निरीक्षक सहरसा द्वारा जप्त कर इसके नमूने का मिलान राज्य खाद्य निगम के गोदाम–2 के उसना चावल से कराने के उपरान्त सहरसा सदर थाना काण्ड संख्या– 559/11 दिनांक– 19.11.2011 दर्ज कराया गया है। जप्त उसना चावल सदर थाना में सुरक्षित रखवाया गया था।

चूँकि जप्त उसना चावल का कोई दावेदार नहीं है तथा ठेला चालकों द्वारा बतलाये गये व्यक्ति गोपाल साह एवं किष्टो भगत ने न तो कारण–पृच्छा समर्पित किया और न न्यायालय में उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में जप्त चावल को अधिग्रहित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त उसना चावल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत अविलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इसे निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

28.2.15
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 487-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 07 मार्च, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।